

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर  
क्रमांक: ई-20 / म0स्वा0कार्य0 / (सामा-542) / 2019 / दिनांक:-

:--आदेश:-

निम्नांकित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को परिवीक्षाकाल में उनकी स्वयं की प्रार्थना पर निम्नानुसार असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

क्र सं	कर्मचारी का नाम/पद	पदस्थापन स्थान	असाधारण अवकाश
1.	इन्द्रा सैनी, म.स्वा कार्यकर्ता	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चुरु	दिनांक 05.10.2017 से 21.11.2017 तक 48 दिवस
2.	सुशीला, म.स्वा.कार्यकर्ता	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चुरु	दिनांक 20.12.2017 से 31.12.2017 तक 12 दिवस
3.	सरिता, म.स्वा.कार्यकर्ता	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चुरु	दिनांक 04.10.2017 से 14.11.2017 तक 42 दिवस

वित्त विभाग के आदेश संख्या F.1(2)FD(Rules)/06/Part-1 दिनांक 11.06.2014 के अनुसरण में एक माह से अधिक अवधि के उपरान्त उपभोग किये गये असाधारण अवकाश की सीमा तक उनके परिवीक्षाकाल में अभिवृद्धि की जावेगी।

— 58 —  
(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-20 / म0स्वा0कार्य0 / (सामा-542) / 2019 / 567

दिनांक:- 1/4/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचना के एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चुरु।
2. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चुरु।
3. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. आदेश / रक्षित पत्रावली।

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर